छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग, रायपुर

शंकर नगर मार्ग, रायपुर (छ.ग.)

दूरभाष 0771–2439562, फैक्स–2446556 वेबसाइट : www.psc.cg.gov.in

क्रमांक 443 / 66 / चयन / 2009 रायपुर, दिनांक 06/07/2019

// विज्ञप्ति //

छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग के विज्ञापन क्रमांक 07 / 2008 / चयन / दिनांक 22 / 05 / 2008 रोजगार और नियोजन में प्रकाशन दिनांक 28.05.2008 के द्वारा आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारी (स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग) के कुल 106 पद विज्ञापित किए गए थे तथा शुद्धि पत्र क्रमांक 05 / 2008/चयन दिनांक. 21.08.2008 के द्वारा पदों की संख्या बढ़ाकर 297 कर दी गई थी, रिक्त पद अनारक्षित 158 (म.–47, वि.–09), अनु. जाति 45 (म.–14, वि.–03), अ.ज.जा. 53 (म.–16, वि.–02) एवं अन्य पिछड़ा वर्ग 41 (म.–12, वि.–03) कुल रिक्त पद 297 (म.–89, वि.–17) के विरूद्ध लिखित परीक्षा एवं साक्षात्कार में प्राप्त अंकों के कुल योग के मेरिट क्रम के आधार पर वर्गवार कुल 289 अभ्यर्थियों की चयन सूची दिनांक 17.11.2009 को जारी की गई थी। उक्त चयनित अभ्यर्थियों के अनुशंसा पत्र एवं अभिलेख आयोग के पत्र दिनांक .24.11.2009 द्वारा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग को भेजे गये थे।

उपर्युक्त चयन सूची जारी दिनांक 17.11.2009 में एक अभ्यर्थी के चयन संबंधी रिमार्क में विकलांगता का उल्लेख न होने के कारण उक्त चयन सूची को निरस्त करते हुए लिखित परीक्षा एवं साक्षात्कार में प्राप्त अंकों के कुल योग के मेरिट क्रम के आधार पर वर्गवार कुल 290 अभ्यर्थियों की संशोधित चयन सूची दिनांक 04.12.2009 को आयोग द्वारा जारी की गई थी तथा संशोधित चयन सूची में सम्मिलित एक अभ्यर्थी के अनुशंसा पत्र एवं अभिलेख आयोग के पत्र दिनांक 05.12.2009 द्वारा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग को भेजे गये थे।

याचिका क्रमांक 901 / 2010 डॉ. अवध पचौरी विरूद्ध छ.ग. शासन एवं अन्य में मान. उच्च न्यायालय के द्वारा पारित आदेश दिनांक 29.04.2019 के परिपालन में आयोग द्वारा अवध पचौरी का दिनांक 03.07.2019 को साक्षात्कार लिया गया। आयोग द्वारा दिनांक 04.12.2009 को जारी संशोधित चयन सूची में अनारक्षित विकलांग श्रेणी में चयनित अंतिम अभ्यर्थी के प्राप्तांक (कटआफ अंक) से श्री अवध पचौरी अनारक्षित विकलांग का कुल प्राप्तांक कम होने के कारण चयन सूची में स्थान नहीं पा सका है।

अतः आयोग द्वारा पूर्व में दिनांक 04.12.2009 को जारी संशोधित चयन सूची में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। उक्त संशोधित चयन सूची यथावत रहेगी।

परीक्षा नियंत्रक
छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग
रायपुर (छ.ग.)